न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुश्री नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	तारीख दायर	तारीख आदेश
1/145	08.08.2024	09.09.2025

बउनवान

01. बन्नी पुत्र हरचन्द जाति गुर्जर निवासी ग्राम बिलन्दी तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज०
02. रामोतार पुत्र हरचन्द जाति गुर्जर निवासी ग्राम बिलन्दी तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज०

वादीगण

बनाम

01. कन्हैया पुत्र हरचन्द जाति गुर्जर
02. गणपत पुत्र हरचन्द जाति गुर्जर
03. रामखिलाडी पुत्र हरचन्द जाति गुर्जर समस्त निवासियान ग्राम बिलन्दी तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज०

प्रतिवादीगण

04. अन्जु पुत्री माता छोटी देवी जाति गुर्जर
05. अमरसिह पुत्र लाला जाति गुर्जर
06. अमीचन्द पुत्र हरजी जाति गुर्जर
07. ओमकार पुत्र हीरलाल जाति गुर्जर
08. कजोडा पुत्र रामकिशन जाति गुर्जर
09. कन्हैया पुत्र हीरालाल जाति गुर्जर
10. कन्हैया पुत्र हरचन्द जाति गुर्जर
11. कश्मीरा पुत्री माता खुद छोटी देवी जाति गुर्जर
12. कालुराम पुत्र रामचन्दर जाति गुर्जर
13. किशना पुत्र हीरालाल जाति गुर्जर
14. छोटेलाल पुत्र लाला जाति गुर्जर
15. छोटेलाल पुत्र देवी सहाय जाति गुर्जर
16. नत्थी देवी पत्नि स्वश्री लाला जाति गुर्जर
17. ननगो पुत्री लाला जाति गुर्जर
18. नन्दराम पुत्र हीरालाल जाति गुर्जर
19. पप्पुराम पुत्र देवी सहाय जाति गुर्जर
20. पुरण पुत्र रामचन्द्रर जाति गुर्जर
21. पुरणमल पुत्र रामचन्द्रर जाति गुर्जर
22. बद्री पुत्र देवी सहाय जाति गुर्जर
23. भुरा पुत्री लाला जाति गुर्जर
24. मुखराम पुत्र हीरालाल जाति गुर्जर
25. मान सिंह पुत्र लाला जाति गुर्जर
26. मीरा पुत्री लाला जाति गुर्जर

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

27. रामखिलारी पुत्र हरचन्द जाति गुर्जर, समस्त कौम गुर्जर निवासियान ग्राम बिलन्दी तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज०

तरतीबी प्रतिवादीगण

28. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब भू. स्वामी मालाखेडा तह० मालाखेडा जिला अलवर राज०

तकमिली प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.

निर्णय

वकील वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर वाद मे वर्णित जमाबन्दी संवत 2075–2078 के खाता संख्या नया 267 व पुराना खाता संख्या 203 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 1112 रकबा 0.2600 हैक्टेयर भूमि ग्राम बिलन्दी तहसील मालाखेडा जिला अलवर का जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार तकसीम किये जाने तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने हेतु निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी जरिये सम्मन तलब किये गये।

वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. 1908 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश किया। जिसका सार इस प्रकार हैं कि वादी द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया है वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कि धारा 53(4) के तहत विधि द्वारा वर्जित हैं क्योकि काश्तकारी अधिनियम कि धारा 53(4) के तहत कृषि भूमी विभाजन के दावे में समस्त सह खातेदारो को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक हैं। जबकि वादी ने अपने दावे में राजस्व रिकोर्ड अनुसार विवादीत आराजी खसरा न0 1112 के सभी सहखातेदारो को पक्षकार नही बनाया हैं। इसलिये वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण चलने योग्य नही हैं। वादी ने अपने वाद में वर्तमान खाता स० 267 में केवल खसरा न0 1112 रकबा 0.26 है० में विभाजन के लिये दावा प्रस्तुत किया है। जबकि राजस्व रिकोर्ड अनुसार उक्त खाता में कुल खसरे 22 हैं तथा कुल रकबा 5.2400 है० है। खसरा न0 1112 में करीब 30–40 साल पूर्व से ही प्रतिवादीगण के आवासीय मकानात बने हुए ओर उक्त खसरे में आबादी बसी है । मकानात के बटवारे का न्यायालय श्रीमान को क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिये वादी का वाद राजस्व न्यायालय में चलने योग्य नहीं हैं। वादी ने अपने वाद में जो प्रतिवादी बनाये हैं उनमें से प्रतिवादी स० 6 व 7 का करीब 7–8 साल पूर्व ही देहान्त हो गया था वादी ने न्यायालय को गुमराह कर मृत लोगों के खिलाफ दावा पेश किया हैं, जो वाद विधि द्वारा वर्जित हाने के कारण चलने योग्य नहीं है। वाद में वादहेतुक प्रकट नहीं होने के कारण वादी का वाद राजस्व न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। वादी ने अपना वाद गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया वादी ने अपने वाद में असल प्रतिवादी स० 1 व 3 को पुनः तरतीबी प्रतिवादी स० कमश 10 व 27 बनाकर व तरतीबी प्रतिवादी स० 20 को पुनः तरतीबी प्रतिवादी स० 21 बनाकर न्यायालय को गुमराह किया है। वाद में वाद हेतुक प्रकट नहीं हाने के कारण व वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण चलने योग्य नहीं हैं।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का जवाब पेश किया गया, जो इस प्रकार है कि वादीगण ने युक्ति युक्त वाद कारण पैदा होने पर ही वाद दायर किया था। वादी नाबालिग है और वादी का विवादित आराजीयात पर जन्म से ही अधिकार है। विवादित आराजी पैतृक है जिस पर नाबालिग वादी के हक–हिस्सा व अधिकार कानूनी व जन्म से है। वादी के पिता का देहान्त बहुत पहले हो गया तथा वादी का लालन–पालन माता मेहनत मजदूरी से कर रही है। प्रतिवादीगण संख्या 06 तथा 07 की काफी समय पूर्व मृत्यु हो गयी थी लेकिन वादी अनभिज्ञ होने के कारण नाम वादपत्र में सहवन से लिखा गया। जानकारी प्राप्त होते ही प्रतिवादीगण संख्या 06 व 07 के वारिसों को रिकॉर्ड पर लिये जाने का मरम्मत सवाल प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश कर दिया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है क्योकि वादपत्र वादी की आराजी में स्वयं को काश्तकार घोषित फरमाये जाने की बाबत् किया है। बिना विधिक दृष्टान्तों का अवलोकन किये पेश किये प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 को खारिज फरमाये जाने तथा प्रतिवादी संख्या 01 को भविष्य में गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय का समय बेवजह बर्बाद न करने हेतु पांबद किये जाने का वादीगण ने निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पर उभय पक्ष की बहस सुनी।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र व जवाब में अंकित अभिवचनों, उभयपक्षो की बहस पर मनन किया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53(4) के अनुसार भूमि क्षेत्र के विभाजन में एक या एक से अधिक भूमि क्षेत्र के बंटवारे के निमित्त प्रत्येक दावे में समस्त सह आसामी तथा भूमिधारी पक्षकार बनाये जाऐंगें।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में खाता संख्या नया 267 पुराना खाता संख्या 203 में विवादित आराजी खसरा संख्या–1112 रकबा 0.26 हैक्टेयर का वादीगण तथा प्रतिवादीगण के बीच हिस्सानुसार तकसीम कराये जाने हेतु अनुतोष चाहा है। विवादित खाता संख्या नया 267 में वर्णित कुल खातेदारों की संख्या–33 है। अविभाजित आराजी के प्रत्येक हिस्से पर सभी पक्षकारान का समान हिस्सा निहित है। अतः समस्त सहखातेदारों को वादपत्र में आवश्यक पक्षकार न बनाये जाने पर वादपत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 (घ) वाद विधि द्वारा वर्जित होने के आधार पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. 1908 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वाद खारिज किया जाता है।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

निर्णय आज दिनांक–09.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर इजलास सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)